भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 44

(सोमवार, 01 दिसंबर, 2025/10 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

निवेशक शिविर

44. श्री जशुभाई भिलुभाई राठवाः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 1 जून, 2025 को आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने वाले दावेदारों और हितधारकों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) दावा प्रस्तुत करने और निवेशकों के प्रश्नों को हल करने को सुविधाजनक बनाने में प्रशिक्षित अधिकारियों और समर्पित कियोस्कों की क्या भूमिका है;

(ग) क्या सरकार भविष्य में निवेशकों की सहायता करने के लिए और अधिक शैक्षणिक सामग्री/डिजिटल उपकरण विकसित करने की योजना बना रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इससे देश भर में निवेशकों के अदावाकृत धन की मात्रा को कम करने पर क्या प्रभाव होने का अनुमान है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) और (ख): 1 जून, 2025 को आयोजित "निवेशक शिविर" कार्यक्रम में लगभग 450 प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया। आईईपीएफए-प्रशिक्षित कर्मियों ने पंजीकरण, आईईपीएफ-5 प्ररूप भरने और खोज सुविधा के उपयोग सहित आधोपांत प्रक्रिया को सुगम बनाया। सेबी, डिपॉजिटरी (एनएसडीएल और सीडीएसएल), प्रतिभूति सूचकांक (एनएसई और बीएसई) और 88 सहभागी कंपनियों के प्रतिनिधियों द्वारा अपने आरटीएएस के माध्यम से प्रबंधित समर्पित कियोस्क ने एक ही स्थान पर समाधान मंच को सक्षम बनाया। इसके अतिरिक्त, प्रतिभागियों को तत्काल सहायता और व्यक्ति अनुरूप मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया।

(ग) और (घ): आईईपीएफए समय-समय पर निवेशकों के लिए शैक्षिक सामग्री का विकास और संवर्धन करता रहता है। शैक्षिक सामग्री विभिन्न निवेशक जागरूकता शिविरों और कार्यशालाओं के साथ-साथ सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटप्ररूप के माध्यम से प्रसारित की जाती है। इन संसाधनों को नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे सभी निवेशकों के लिए सामयिक, प्रासंगिक और सुलभ रहें।

(ङ): निवेशकों, कंपनियों और रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंटों (आरटीए) के बीच सीधे संपर्क को सुगम बनाकर, यह पहल केवाईसी, नामांकन और डीमैटेरियलाइजेशन से संबंधित मुद्दों का समय पर समाधान संभव बनाती है। तत्काल सहायता से निवेशकों को कंपनियों और आईईपीएफए से शेयर और लाभांश वापस पाने में मदद मिलती है।

****